

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक एफ-07-70/2022/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 15 जुलाई, 2022

प्रति,

समस्त जिला कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के मापदण्डों में संशोधन तथा एकजाईकरण।

संदर्भ:- क्रमांक एफ 07-28/2009/आ0प्र0/एक, दिनांक 07 फरवरी, 2014

.....

संदर्भित परिपत्र द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए (क्रीमीलेयर) के मापदण्डों में संशोधन तथा एकजाईकरण के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। किन्तु राज्य शासन के ध्यान में यह तथ्य लाया गया है कि इन निर्देशों का समुचित पालन नहीं हो रहा है, जिसके कारण अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

2/ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 07 फरवरी, 2014 की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि परिपत्र में उल्लेखित निर्देशों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का परीक्षण कर, अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए।

3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

संलग्न:-यथोपरि।

(शैलबाला ए. मार्टिन)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

11/211

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.शासन, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
6. अध्यक्ष, म.प्र. व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर।
10. सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश भोपाल।
11. सचिव, लोक सेवा आयोग मध्यप्रदेश, इंदौर।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश।
13. महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर।
14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल।
15. निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, कमरा नं0 309, निर्माण सदन, सीजीओ बिल्डिंग, 52-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल।
16. निदेशक, अनुसूचित जाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, फ्लेट नं0-103, तेजस्वी अपार्टमेंट, द्वितीय तल, द्वारकापुरी, पंजागुट्टा, हैदराबाद-500082।
17. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/ पिछडा वर्ग आयोग, भोपाल।
18. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग,
19. आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
20. अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सा.प्र.वि. अधीक्षण/अभिलेख शाखा, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक

भोपाल, दिनांक 07/02/2014

प्रति

अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव,
शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश ।

विषय:- अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमिलेयर के मापदण्डों में संशोधन तथा एकजाईकरण ।

संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ 7-18/2000/आ.प्र./ एक,
दिनांक 25.02.2003, 25.08.2012 एवं 02.07.2013

सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 25.02.2003 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये (क्रीमिलेयर) के मापदण्ड जारी किये गये हैं, जिन्हें परिपत्र दिनांक 25 अगस्त 2012 द्वारा पुनः एकजाई एवं संशोधित रूप में जारी किये गये हैं ।

2/ विभिन्न स्तरों से समय-समय पर क्रीमिलेयर के संबंध में स्पष्टीकरण चाहा जाता है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) ने ज्ञापन क्रमांक 36033/5/2004-Estt (Res) दिनांक 14-10-2004 द्वारा क्रीमिलेयर के संबंध में अनेक प्रावधानों से संबंधित शंकाओं

Handwritten signature

निरंतर...2

Cumilare-6

बेटी है तो कल है

का समाधान किया गया है, जो अग्रलिखित है :-

क्र०	प्रावधान	स्पष्टीकरण
(i)	क्या उन माता-पिता के पुत्र एवं पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जायेगा जिनमें से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-I/समूह "क" अधिकारी हो और सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनमें से एक की अथवा दोनों की मृत्यु हो जाये अथवा स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये ?	(क) माता-पिता में से कोई एक अथवा दोनों सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी है और ऐसे नियोजित व्यक्ति (व्यक्तियों) की सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाये अथवा वह (वें) स्थायी रूप से अक्षम हो जाएं;
(ii)	क्या उन माता-पिता के पुत्र एवं पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जायेगा जो दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी-II समूह "ख" अधिकारी हो और उनमें से एक की मृत्यु हो जाये अथवा वह स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये ?	(ख) माता-पिता दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' के अधिकारी हैं और उनमें से एक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाए अथवा वह स्थायी रूप से अक्षम हो जाए, आर
(iii)	क्या उन माता-पिता के पुत्र एवं पुत्रियों को सम्पन्न वर्ग से बाहर समझा जायेगा जो दोनों ही सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त श्रेणी II समूह "ख" अधिकारी हो और सेवानिवृत्ति के पश्चात् दोनों की मृत्यु हो जाये अथवा स्थाई तौर पर अक्षमता का शिकार हो जाये, यद्यपि दोनों की ऐसी मृत्यु अथवा ऐसी स्थाई अक्षमता से पूर्व इनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक इत्यादि से किसी अन्तरराष्ट्रीय संगठन में कम से कम पाँच वर्ष की अवधि की नियुक्ति की सुविधा प्राप्त की हो ?	(ग) माता-पिता जो दोनों ही सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-II /समूह 'ख' के अधिकारी हैं और दोनों की ही सेवा में रहते हुये मृत्यु हो जाये अथवा वे स्थायी रूप से अक्षम हो जाये भले ही उनकी ऐसी मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता से पूर्व उनमें से किसी एक ने संयुक्त राष्ट्र अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि जैसे अन्तरराष्ट्रीय संगठनों में कम से कम 05 वर्ष की अवधि की नियुक्ति की प्रसुविधा प्राप्त की हो । संपन्न वर्ग (कीमी लेयर) के अंतर्गत नहीं आते । किन्तु यदि ऐसे मामलों में मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता सेवानिवृत्ति के पश्चात् हो तो ऐसे माता-पिता के पुत्र एवं पुत्रियाँ संपन्न वर्ग (कीमी लेयर) के अंतर्गत माने जावेगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

क्र०	प्रावधान	स्पष्टीकरण
(iv)	ऐसे माता-पिता के पुत्र एवं पुत्रियाँ जो अपने माता-पिता के सेवारत रहने के दौरान उनकी सेवा-श्रेणी के कारण संपन्न वर्ग में आते थे, क्या अपने माता-पिता की सेवानिवृत्ति के पश्चात् भी संपन्न वर्ग में बने रहेंगे ?	इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि ऐसे माता-पिता के पुत्र और पुत्रियाँ जिन्हें अपने माता-पिता के सेवा स्तर के आधार पर संपन्न वर्ग में शामिल माना गया है, संपन्न वर्ग में शामिल माने जाते रहेंगे, चाहे उनके माता-पिता सेवानिवृत्त हो गये हो अथवा सेवानिवृत्ति के बाद उनकी मृत्यु हो गयी हो ।
(v)	क्या ऐसे माता-पिता के पुत्र एवं पुत्रियाँ संपन्न वर्ग (किमीलेयर) के अंतर्गत माने जावेंगे ? जिनमें पति सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-3/समूह-"ग" अथवा श्रेणी-4/समूह "घ" कर्मचारी हो और 40 वर्ष की आयु तक या इससे पूर्व वह श्रेणी -1/समूह "क" अधिकारी बन गया हो ।	इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि ऐसे पुत्र एवं पुत्रियाँ जिनके माता-पिता में से केवल पति सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-II/समूह 'ख' अधिकारी है और जो 40 वर्ष की आयु तक अथवा उससे पूर्व श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी बन जाए, संपन्न वर्ग के अंतर्गत माने जावेंगे । यदि पिता सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी III/समूह 'ग' अथवा श्रेणी IV/समूह 'घ' कर्मचारी है और वह 40 वर्ष की आयु अथवा उससे पूर्व श्रेणी I/समूह 'क' अधिकारी बन जाए तो उसके पुत्र एवं पुत्रियाँ संपन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे ।

क्र०	प्रावधान	स्पष्टीकरण
(vi)	क्या कोई ऐसा उम्मीदवार जो स्वयं सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-1/समूह 'क' अधिकारी हो अथवा सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी II/समूह 'ख' अधिकारी हो और 40 वर्ष की आयु तक या उससे पहले श्रेणी I/समूह 'क' अधिकारी बन गया हो, अपनी सेवा के स्तर के आधार पर संपन्न वर्ग के अंतर्गत माना जावेगा।	इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि उम्मीदवारों के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण उसके माता-पिता के दर्जे के आधार पर किया जाता है, न कि उसकी अपनी हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नी की हैसियत अथवा आय के आधार पर। अतः किसी व्यक्ति के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करते समय उम्मीदवारों की स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नी की
(vii)	क्या कोई ऐसा उम्मीदवार संपन्न वर्ग के अंतर्गत माना जावेगा जिसकी सकल वार्षिक आय 6.00 लाख रुपये अथवा उससे अधिक हो अथवा लगातार तीन वर्षों से संपत्तिकर अधिनियम में यथा निर्धारित छूट की सीमा से अधिक संपदा रखता रहा हो ?	हैसियत अथवा आय को ध्यान में नहीं रखा जावेगा।
(viii)	अनुदेशों में यह प्रावधान है, कि अन्य पिछड़ा वर्ग की किसी महिला को, जिसका विवाह सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' अधिकारी के साथ हुआ है, विवाह के आधार पर संपन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जावेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कोई ऐसा पुरुष जिसका विवाह सीधी भर्ती से नियुक्त श्रेणी-I/समूह 'क' के अधिकारी महिला के साथ हुआ हो, क्या अपने विवाह के आधार पर संपन्न वर्ग के अंतर्गत माना जावेगा ?	


Ans

क्र०	प्रावधान	स्पष्टीकरण
(ix)	सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों आदि में कार्यरत माता-पिता के पुत्रों और पुत्रियों के संबंध में आय/सम्पत्ति परीक्षण किस प्रकार लागू होगा, जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के पदों के साथ स्थापित नहीं है।	इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है, कि ऐसे व्यक्तियों जो किसी ऐसे संगठन में कार्यरत जिनके पदों की समकक्षता अथवा तुल्यता सरकार के अंतर्गत पदों के साथ मूल्यांकित नहीं की गई है, के पुत्र एवं पुत्रियों संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण नीचे दिये गये अनुसार किया जाता है :- माता-पिता की, वेतन तथा अन्य स्रोतों (वेतन तथा कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय का पृथक से निर्धारण किया जाय। यदि माता-पिता के वेतन से होने वाली आय अथवा अन्य स्रोतों (वेतन एवं कृषि भूमि को छोड़कर) से होने वाली आय में कोई भी लगातार तीन वर्षों तक 6.00 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक रहती हो तो ऐसे माता-पिता के पुत्र एवं पुत्रियों संपन्न वर्ग के अंतर्गत माने जावेगे। किन्तु ऐसे माता-पिता जिनकी वेतन से होने वाली आय 6.00 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है और अन्य स्रोतों से होने वाली आय भी 6.00 लाख प्रतिवर्ष से कम है, के पुत्र एवं पुत्रियों को संपन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जावेगा चाहे उनके वेतन से होने वाली आय तथा अन्य स्रोतों से होने वाली आय का योग लगातार तीन वर्षों से 6.00 लाख प्रतिवर्ष से अधिक ही क्यों न हो, यह भी ध्यान रखा जाय कि कृषि भूमि से होने वाली आय को यह परीक्षण लागू करते समय नहीं गिना जावेगा।
(x)	आय/संपत्ति परीक्षण (संबंधी प्रावधान) के नीचे दिये गये	इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है, कि कार्यालय ज्ञापन की अन्य सूची की

Handwritten signature

क्र०	प्रावधान	स्पष्टीकरण
	स्पष्टीकरण "वेतन अथवा कृषि भूमि से होने वाली आय को मिलाया नहीं जायेगा।" की व्याप्ति की सीमा तक है ?	श्रेणी-VI में दिये गये अनुसार किसी उम्मीदवार के संपन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करने के लिये आय/संपत्ति परीक्षण लागू करते समय वेतन से होने वाली आय तथा कृषि भूमि से होने वाली आय नहीं गिना जावेगा। इसका तात्पर्य यह है, कि यदि किसी उम्मीदवार के माता-पिता के वेतन से होने वाली आय 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक हो और कृषि भूमि से होने वाली आय 6.00 लाख रुपये से अधिक हो किंतु अन्य स्रोतों से होने वाली आय 6.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम हो तो आय/संपत्ति परीक्षण के आधार पर उम्मीदवार को संपन्न वर्ग के अंतर्गत नहीं माना जावेगा बल्कि के उसके माता-पिता (दोनों) के पास लगातार तीन वर्षों के अवधि से संपत्ति कर अधिनियम यथा-निर्धारित सीमा से अधिक धन न रहा हो।

3/ कृपया, अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र जारी करते समय उपरोक्त स्पष्टीकरण को दृष्टिगत रखने हेतु सक्षम अधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट करें



(आर.के.गजभिये)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ० क्रमांक एफ 7-28/2009/आ.प्र./एक
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 07/02/2014


1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. माननीय मंत्री/राज्यमंत्री के निज सचिव/निज सहायक, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
5. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।

Crimilare-6

बेटी है तो कल है

6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, /अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश, भोपाल /सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
7. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश भोपाल ।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
9. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर ।
10. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल ।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी /सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म.प्र. भोपाल ।
12. महाधिवक्ता /उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर /इंदौर /ग्वालियर ।
13. आयुक्त, पिछडा वर्ग कल्याण मध्यप्रदेश, भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव /सचिव /उप सचिव / मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(आर.के.गजभिये)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग